न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल, एच.जे.एस. (UP-2408)
CNR No.-UPHP010045892026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –1331/2026

कृष्णा देवी पत्नी ओमवीर सिंह निवासी गिरधरपुरा शिवनगर गढ़ रोड़ हापुड़, थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

अन्तर्गत धारा–420, 467, 468, 419, 120बी. भा0दं0सं0
मुकदमा अपराध संख्या 02/2000
थाना–हापुड़ कोतवाली, जिला– हापुड़।

दिनांक 03.07.2026:–

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्राथमिकी के अनुसार वादिनी मुकदमा माया ने इस आशय की तहरीर थाना हाजा पर दर्ज करायी गयी है कि उसके पति का देहान्त अरसा करीब 6–7 वर्ष पूर्व हो गया था, जिनके नाम मौहल्ला गिरधरपुरा गढ़ रोड हापुड़ है। लगभग 200 गज का प्लाट था, जिसके उपर उन्होंने अपने जीते जी रहने हेतु निर्माण कर लिया था तथा कुछ भूमि खाली पड़ी थी तथा अभियुक्ता श्रीमति कृष्णा ने अपने पति ओमवीर के साथ षडयंत्र रचकर उसके पति स्व0 श्री टुक्कीराम के स्थान पर अन्य किसी अज्ञात व्यक्ति को खड़ा करके तथा श्री टुक्कीराम का फर्जी निशानी अंगूठा लगाकर दिनांक 15.11.1994 को सब रजिस्टार तहसील हापुड़ के यहां उपरोक्त प्लाट के 30 वर्गगज भाग का श्रीमति कृष्णा देवी ने अपने पक्ष में फर्जी रूप से बैनामा करा लिया, जबकि सब रजिस्टार कार्यालय में रिकार्ड कॉपी में श्री टुक्कीराम की फोटों के स्थान पर किसी अज्ञात व्यक्ति का फोटो लगी हुई है। अभियुक्तगण सं0 3 व 4 बैनामें के गवाह है, जिन्हें बैनामें पर दस्तख्त करते समय यह भलीभांति ज्ञात था कि विक्रेता टुक्कीराम नहीं है, फिर भी अभियुक्त सं0 6 अज्ञात व्यक्ति को बतौर टुक्कीराम की शिनाख्त किया, प्रश्नगत बैनामें पर सब रजिस्टार कार्यालय से वापिस मिलने पर अभियुक्तगण 1, 2 व 5 ने साज करके अज्ञात व्यक्ति को फोटो हटाकर उसके स्थान पर टुक्कीराम का कही से फोटो प्राप्त करके चिपका दिया, जिसे अभियुक्त लाल सिंह आमौर ने अपने हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर शिनाख्त किया, जबकि रिकार्ड प्रतिलिपि पर जो सब रजिस्टार कार्यालय हापुड़ में मौजूद है, विक्रेता के रूप में फोटो टुक्कीराम का ना होकर किसी अज्ञात व्यक्ति का लगा हुआ है। इस फोटो को भी श्री लाल सिंह आमौर ने टुक्कीराम के रूप में हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर शिनाख्त किया है। उपरोक्त सभी अभियुक्त द्वारा समान व इरादे से षडयंत्र रचकर उसको सदोष हानि पहुंचाने व स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने की नीयत से फर्जी काम किया गया है।

3. आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय सी.जे.एम. हापुड़ के यहां मु0अ0सं0 02 सन् 2000 वाद सं0 4859 सन् 2003 सरकार बनाम कृष्णा देवी आदि अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 419, 120बी. भा0दं0सं0, थाना कोतवाली हापुड़ में विचाराधीन है। उपरोक्त वाद में आवेदिका/अभियुक्ता को झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी देरी से लिखायी गयी है तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता थाने से जमानत पर है। सह अभियुक्त ओमवीर व सत्यवीर की जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। तुकेराम कथित बैनामे के समय जीवित था, उसकी मृत्यु कथित बैनामा दिनांकित 15.11.2024 के बाद माह दिसम्बर में हुई थी और उक्त कथित बैनामा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि तुकेराम द्वारा ही किया गया था। उक्त कथित बैनामें के संबंध में पक्षकारों के मध्य दीवानी वाद भी चला। उक्त वाद

माननीय न्यायालय द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता कृष्णा के पक्ष में निर्णय हुआ। आवेदिका/अभियुक्ता 66 वर्षीय फेफड़ो की बीमारी से ग्रस्त बीमार महिला है। आवेदिका/अभियुक्ता के विचारण न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी कर दिये गये हैं। आवेदिका/अभियुक्ता माननीय न्याायलय की सन्तुष्टि के लिए अपनी उचित अग्रिम जमानत देने को तैयार हैं। इस प्रकार आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कारित अपराध को गंभीर बताते हुए आवेदिका/अभियुक्ता ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर सदोष लाभ कमाने के आशय से धोखाधड़ी करके वादिनी मुकदमा के पति की जमीन का पंजीकृत बैनामा दिनांक 15.11.1994 को सब रजिस्टार कार्यालय हापुड़ में वादिनी मुकदमा के पति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके करा लिया तथा आवेदिका/अभियुक्ता उक्त बैनामा में क्रेता है। आवेदिका/अभियुक्ता का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक के तर्क सुने तथा दांडिक वाद की पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

6. आवेदिका/अभियुक्ता पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर सदोष लाभ कमाने के आशय से धोखाधड़ी करके वादिनी मुकदमा के पति की जमीन का पंजीकृत बैनामा दिनांक 15.11.1994 को सब रजिस्टार कार्यालय हापुड़ में वादिनी मुकदमा के पति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके करा लिया तथा आवेदिका/अभियुक्ता उस बैनामें में क्रेता है। वादिनी मुकदमा द्वारा एक मूलवाद संख्या 27/1995 श्रीमति देवी आदि बनाम कृष्णा आदि उक्त सम्पत्ति के संबंध में न्यायालय में दायर किया, जिसमें माननीय विद्वान अवर न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) हापुड़ द्वारा उक्त वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.05.2000 के द्वारा उक्त पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 15.11.1994 को निरस्त किया गया, जिसके संबंध में आवेदिका/अभियुक्ता कृष्णा देवी आदि द्वारा सिविल अपील संख्या 127/2000 कृष्णा देवी आदि बनाम माया उर्फ मेवा आदि योजित की गयी थी जिसमें माननीय अपर जिला जज हापुड़ (गाजियाबाद) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.01.2005 द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.05.2000 को अपास्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील वादिनी मुकदमा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में द्वितीय अपील संख्या 165/2005 माया उर्फ मेवा आदि बनाम श्रीमति कृष्णा देवी आदि योजित की गयी जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांकित 21.02.2005 के द्वारा निरस्त कर दिया। इस प्रकार वादिनी मुकदमा व आवेदिका/अभियुक्ता कृष्णा देवी आदि के मध्य उक्त सम्पत्ति को लेकर सिविल वाद लंबित रहे है और जिसमें आवेदिका/अभियुक्ता कृष्णा देवी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है और उक्त बैनामें को सही माना गया है। आवेदिका/अभियुक्ता पूर्व से थाने से जमानत पर है। आवेदिका/अभियुक्ता बैनामें की क्रेता है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में सह अभियुक्त सत्यवीर सिंह की अग्रिम जमानत दिनांक 03.12.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम विधि व्यवस्थाओं के आलोक में मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदिका/अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार करने का पर्याप्त आधार पाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 02 सन् 2000, धारा 420, 467, 468, 419, 120बी. भा0दं0सं0, थाना कोतवाली हापुड़, जिला हापुड़ के मामले में स्वीकार किया जाता है। अतः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमति बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा अंकन 50,000/–रूपये की एक विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड दिया जाये।

1 यह कि आवेदिका/अभियुक्ता न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होगी तथा विचारण में सहयोग करेगी।

2. यह कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदिका/अभियुक्ता न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगी तथा अपना पासपोर्ट विचारण की समाप्ति तक न्यायालय में जमा करेगी।

4 यह कि आवेदिका/अभियुक्ता अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व धारा 313 दं0प्र0सं0 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व धारा 313 दं0प्र0सं0 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध भा0दं0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।

5. यह कि आवेदिका/अभियुक्ता विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगी।

6. यह कि आवेदिका/अभियुक्ता अपने आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगी।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदिका/अभियुक्ता की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक 03.07.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।